रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1003] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/ चैत्र 17, 1939
No. 1003] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2017

का.आ. 1129(अ).–यतः मै. लोढा ड्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड, ने महाराष्ट्र राज्य के ग्राम नारीवली, तालुका थाणे, जिला थाणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 12 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 667(अ) के तहत 32.67 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित किया है;

और, यतः मै. लोढा ड्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 32.67 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः महाराष्ट्र सरकार ने उनके दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के पत्र सं. एसईजेड–2014/सीआर–32/2014/आईएनडी–2 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दे दिया है;

और यतः विकास आयुक्त, सीप्ज विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 32.67 हैक्टेयर के समस्त क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोडकर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 2/354/2006–एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2017

S.O. 1129(E).—WHEREAS, M/s. Lodha Dwellers Private Limited in the State of Maharashtra, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Village Narivali, Taluka Thane, District Thane in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an area of 32.67 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 667 (E) dated 12th March, 2009;

AND, WHEREAS, M/s. Lodha Dwellers Private Limited has now proposed for full de-notification of 32.67 hectares area at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its "No Objection" to the proposal vide their letter No. SEZ-2014/CR-32/2014/Ind-2, dated 09th April, 2015;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for full de-notification of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/354/2006-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.04.18 15:13:59 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.